

29/08/22-

पत्रावली का प्रवेश हुना कोने.
पत्रावली का स्थिति तब तक दिनांक
दिनांक 26/08/22 के लिए शीघ्र
पत्रावली की गयी कोने पत्रावली
वदर हुनी गयी कोने के लिए
के लिए जाकर हुने न्यायलय
हुने गयी पत्रावली दिनांक हुने
के लिए दिनांक-26/08/22

पत्रावली

उपस्थान अधिकारी, गुडामालानी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 14/2022

प्रार्थीगण

1. कुशलाराम पुत्र लुम्बाराम
 2. ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम
 3. प्रेमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम
- जाति जाट निवासी नोख तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक :- 29.08.22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 233/2 रकबा 6-19 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 8-02 बीघा की भूमि सरहद मौजा बेरीगांव पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। प्रार्थीगण के खेत के बीचों-बीच से सड़क निकलने से खसरा नम्बर विभक्त करते वक्त विप्रार्थीगण संख्या 1 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने खसरों का रकबा मौका से भिन्न दर्ज कर दिया है। विप्रार्थी संख्या 1 व उनके कर्मचारियों ने सड़क की तरमीम का इन्द्राज मौके व जमाबन्दी में सही किया है लेकिन प्रार्थीगण के मौके से भिन्न खसरा नम्बर 233/2 रकबा 6-19 बीघा के स्थान पर 10-01 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 8-02 बीघा के स्थान पर 5-00 बीघा दर्ज कर दिया है, इस प्रकार गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने हेतु उक्त आवेदन न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में ग्राम बेरीगांव के खसरा नम्बर 233, 233/2 रकबा कमशः 5-00, 10-01 बीघा दर्ज है। ग्राम बेरीगांव के नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 05.05.1973 के द्वारा परगना अधिकारी बाड़मेर के आदेशों की पालना में उक्त खसरा नम्बर 233 का मूल रकबा 36-02 बीघा में से खसरा

नम्बर 233/1 रकबा 5-05 बीघा व खसरा नम्बर 233/3 रकबा 2-16 बीघा गे.मु.सडक PWD के नाम नामान्तरकरण दायर किया था। सडक हेतु भूमि अवाप्त होने से खसरा नम्बर 233/2 रकबा 10-12 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 15-00 बीघा, खसरा नम्बर 233/4 रकबा 2-09 बीघा की रकबा बरारी का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ था, उक्त खसरों की गे.मु. सडक में अवाप्त भूम के समय रकबा बरारी में त्रुटिवंश खसरा संख्या 233/2 का रकबा 10-12 बीघा दर्ज किया गया जबकि वास्तविक रकबा 7-10 बीघा था, जिसमें से 0-11 बीघा नवसृजित खसरा नम्बर 233/8 गे. मु. नहर दर्ज हो गया, शेष रकबा 6-19 बीघा उक्त खसरा नम्बर 233/2 का रहा तथा खसरा नम्बर 233 रकबा 15-00 बीघा दर्ज किया गया जबकि वास्तविक रकबा 18-02 बीघा जो कि नामान्तरकरण संख्या 62 में त्रुटिवंश दर्ज हुआ। नामान्तरकरण संख्या 801 दिनांक 11.01.2013 को खसरा नम्बर 233 रकबा 15-00 बीघा का विभाजन हो गया तथा रकबा त्रुटि बरकरार रही, अतः वर्तमान में खसरा नम्बर 233 का रकबा 5-00 बीघा के स्थान पर 8-02 बीघा तथा खसरा नम्बर 233/2 रकबा 10-01 बीघा के स्थान पर 6-19 बीघा दौनों खसरा का कुल रकबा 15-01 हुआ। खसरा नम्बर 233/2 की रेकर्ड में तरमीम सही की हुई है जबकि रकबा रकबा कमी-बेरी दर्ज हुआ है। अतः उक्त खसरों में रकबादुरुस्ती खसरा नम्बर 233 में रकबा 8-02 बीघा तथा खसरा नम्बर 233/2 में रकबा 6-19 बीघा किया जाना वर्तमान रेकर्ड अनुसार सही है। खसरा नम्बर 233/1 व खसरा नम्बर 233/3 का रकबा मौका कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार सही है। खसरा नम्बर 233/4 का रकबा वर्तमान में रेकर्ड में 2-09 बीघा दर्ज है जबकि उक्त खसरे का मौके व रेकर्ड के रकबा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 801 में विभाजन से खसरा नम्बर 233/5, 233/4, 233, 233/6 रकबा क्रमशः 6-07, 1-03, 5-00, 2-10 बीघा रेकर्ड में दर्ज है जबकि उक्त खसरों में से खसरा नम्बर 233 में मौके पर रकबा 8-02 बीघा है जो कि रेकर्ड अनुसार 3-02 का अन्तर है, शेष खसरे मौके व रेकर्ड अनुसार सही है। नर्मदा नहर खसरा नम्बर 233/2 में से 0-11 बीघा भूमि अवाप्त होने से नहर के नाम यथावत दर्ज है जबकि नहर का निर्माण उक्त खसरे में से नहीं हुआ है ता खसरा नम्बर 233 समें से खसरा नम्बर 233/6 रकबा 2-10 भूमि नर्मदा नहर के नाम दर्ज है। जिसमें किसी प्रकार का रकबा परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः वर्तमान में खसरा नम्बर 233 का रकबा 5-00 बीघा के स्थान पर 8-02 बीघा तथा खसरा नम्बर 233/2